पत्र सूचना शाखा
(मुख्य सचिव मीडिया कैम्प)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

जी0एस0टी0 को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु व्यापारियों, उद्योगपतियों, अधिवक्ताओं एवं संभ्रांत नागरिकों के साथ चर्चा हेतु कार्यशाला आयोजित करें शीघ्र : मुख्य सचिव

प्रदेश के विकास में व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं संभ्रांत नागरिकों की भागीदारी आवश्यक : दीपक सिंघल

पारित बिल को प्रदेश के हित में लागू करने हेतु गंभीर चिन्तन करने की आवश्यकता : मुख्य सचिव

लखनऊ : 05 अगस्त, 2016

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दीपक सिंघल ने प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं वित्त को निर्देश दिये कि प्रदेश में जी0एस0टी0 को लागू करने में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में आम चर्चा करने हेतु छोटे व्यापारियों, बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों, संभ्रांत नागरिकों एवं अधिवक्ताओं को आमंत्रित कर एक कार्यशाला का आयोजन यथाशीघ्र कराया जाये। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 को प्रदेश के हित में लागू करने हेतु गंभीर चिन्तन करने की आवश्यकता है।

श्री सिंघल ने यह भी निर्देश दिये कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0, उद्योग, विकास प्राधिकरणों सहित अन्य सम्बन्धित विभागों से मत प्राप्त कर आवश्यकतानुसार एक मास्टर प्लान बनाया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं संभ्रांत नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है।

——————————

PN-CS-GST-05 August, 2016 .docx
सम्पर्क सूत्र : श्री दिवाकर खरे, निदेशक, मीडिया, मुख्य सचिव, 9453005368
श्री दिनेश कुमार सिंह, सूचना अधिकारी, 9452027977